

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 28/2024

पंजीकरण सं. :- 2024/69

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दीपक जैन पुत्र श्री बहादुरमल जैन जाति महाजन निवासी प्रताप नगर, छबड़ा जिला बारों राज0 (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स पारस किराना स्टोर, सालपुरा रोड, बस स्टैण्ड, छबड़ा जिला बारों(राज.)
2. मैसर्स पारस किराना स्टोर, सालपुरा रोड, बस स्टैण्ड, छबड़ा जिला बारों (राज.)
3. मैसर्स दीपक किराना स्टोर, सालपुरा रोड, बस स्टैण्ड, छीपाबड़ौद जिला बारों (राज.)
4. प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी कालीमाता मंदिर के पास, सब्जीमण्डी नयापुरा, कोटा राज. 324001 (नॉमिनी) मैसर्स पतंजलि फूड्स लि0, एफ- 152, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नं. 5, झालावाड रोड, कोटा राज. 324005
5. श्री योगेन्द्र देशमुख (नॉमिनी) मैसर्स पतंजलि फूड्स लि0, सर्वे नं. 217/2 ग्राम मीठी रोहर, गांधीधाम कच्छ गुजरात- 370240 मो. 8408990011

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- श्री मनोज कुमार जैन अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 06.09.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जय श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2023 को मै. पारस किराना स्टोर, सालपुरा रोड, बस स्टैण्ड, छबड़ा जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री दीपक जैन पुत्र श्री बहादुरमल जैन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ वनस्पति रूचि नं. 1500 एम.एल. मूल पॉलीपैक 10 किग्रा. आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ वनस्पति रूचि नं. 1500 एम.एल. मूल पॉलीपैक में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ वनस्पति रूचि नं. 1500 एम.एल. मूल पॉलीपैक के 02 लीटर मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री दीपक जैन पुत्र श्री बहादुरमल जैन (विक्रेता एवं मालिक) को 320/- रुपये (अक्षरे तीन सौ बीस रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ वनस्पति रूचि नं. 1500 एम.एल. मूल पॉलीपैक के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1855 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1855 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दीपक जैन पुत्र श्री बहादुरमल जैन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियाँ के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/215 दिनांक 10.05.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 800/PHL/kota/Act/2023/795 दिनांक 04.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति रूचि नं. 1500 एम.एल. मूल पॉलीपैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standrad) होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 08.04.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ वनस्पति रूचि नं. 1500 एम.एल. मूल पॉलीपैक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standrad) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के संपूर्ण कथनों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया गया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अवैधानिक तरीके से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही खारिज की जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि निर्माण के समय अप्रार्थीगण द्वारा हर प्रकार की जांच करवाई जाती है, परंतु हमारे द्वारा करवाई गई जांच में एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त PHL, कोटा ने इसे अवमानक माना है जो धारा 51 के तहत 05 लाख तक जुर्माना योग्य है। धारा 46(4) के तहत अप्रार्थीगण को दोबारा जांच का अधिकार है जिसका मौका प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा पत्र क्रमांक FSSA/2023/1215 दिनांक 10.05.2023 के तहत दिया गया था लेकिन FBO द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 05 कंपनी के नॉमिनी नहीं बल्कि कर्मचारी है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां के कार्यालय से जारी प्रत्येक पत्र व्यवहार के समय उनके द्वारा Authorised Signature किए गए हैं। अतः अप्रार्थी क्रम 05 निर्माता है और अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है। अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 800/PHL/kota/Act/2023/795 दिनांक 04.05.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति रूचि नं. 1500 एम.एल. मूल पॉलीपैक निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 800/PHL/kota/Act/2023/795 दिनांक 04.05.2023 से धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 04 व 05 को कुल जुर्माना राशि 1,50,000/- रुपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 04 व 05 उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारों (राज.)